



सं. 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 30 जुलाई, 2019

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, तल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	---

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम – सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में सूचना

महोदय/महोदया,

हमारे दिनांक 24 जुलाई, 2019 के पूर्ववर्ती पत्र के क्रम में, आपको सूचित किया जाता है कि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल ने आज अर्थात् 30 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 27 अगस्त, 2019 को होने वाली आगामी एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बाण्डों/डिबेंचर/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से निजी प्लेसमेंट के जरिए 70,000 करोड़ रुपए की सीमा तक के संसाधन जुटाने के लिए कंपनी (प्रोस्पेक्टस एवं प्रतिभूतियों का आबंटन) नियमावली, 2018 के नियम 14(2) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी लेने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

ये निधियां वास्तव में आगामी एजीएम में शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान समय-समय पर, निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जुटाई जाएंगी।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com